

सैयद शाहनवाज हुसैन माननीय मंत्री उद्योग विभाग, बिहार सरकार





श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 Ethanol Production Promotion Policy, 2021





इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021



बिहार सरकार, उद्योग विभाग संकल्प

इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021

1. प्रस्तावना

बिहार सरकार निवेश अनुकुल वातावरण निर्माण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने एवं जन कल्याण के लिए राज्य ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया है। इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल जैसे— राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, सिंगल विण्डो क्लियरेंस एवं विभिन्न विभागों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा अपनाये गये ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, स्वप्रमाणन, अनुज्ञप्तियों एवं स्वीकृतियों का समयबद्ध अनुमोदन, ऑनलाइन सूचनाओं की उपलब्धता, अनुमोदन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, डीम्ड अनुमोदन, इत्यादि उपाय महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रयासों का समग्र उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना कर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना है। बिहार सरकार गंभीरतापूर्वक कौशल विकास, निर्यात सुधार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कार्य कर रही है।

उपरोक्त के आलोक में इस नीति को उद्योग विशेषज्ञों, उद्योग संघों, निवेशकों, विषय विशेषज्ञों से गहन विचार—विमर्श के उपरान्त तैयार किया गया है। इस नीति को राज्य में संभावित निवेशकों के लिए इथेनॉल उत्पादन को ज्यादा आकर्षक बनाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य इथेनॉल उत्पादक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार के मिशन की विस्तृत रूप—रेखा को परिभाषित करना है।

2. पृष्टभूमि

स्थाई और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई पहल की है जिनमें नियंत्रित मूल्य तंत्र, इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 जो भारत सरकार द्वारा विकृतिक इथेनॉल के लिए विनियामक है, में संशोधन, लागू माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना, राष्ट्रीय बायो—पयूल नीति, 2018 को अधिसूचित किया जाना, इथेनॉल की अधिप्राप्ति के जिए कच्चे माल की व्याप्ति का विस्तार एवं अप्रैल, 2019 के प्रभाव से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (इ.बी.पी.) कार्यक्रम का अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोडकर पूरे भारत में विस्तार शामिल है।

राष्ट्रीय बायो—पयूल नीति, 2018 का उद्देश्य सार्थक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का समाधान, आयात—निर्यात निर्भरता में कमी करना तथा कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा दे कर सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करना है।



राष्ट्रीय बायो—पयूल नीति, 2018 में बी—हेवी मोलासेस (छोआ), गन्ना जूस एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान जैसे—गेहूँ, ब्रोकन राईस (खुद्दी) इत्यादि जो मानव खपत के लिए अनुपयुक्त हैं, से इथेनॉल उत्पादन की अनुमित दी है। खाद्यान के संबंध में राष्ट्रीय बायो—पयूल समन्वय समिति (एन.बी.सी.सी.) को आगामी वर्ष के आकलित आपूर्ति के आधार पर विशिष्ट कच्चे माल की अनुमित देने हेतु अधिकृत किया गया था। बाद में एन.बी.सी. सी. द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के पास अधिशेष चावल एवं मक्के से इथेनॉल उत्पादन की अनुमित दी गई है।

पारंपरिक रूप से बिहार भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहा है एवं साथ ही यहाँ अधिसंख्यक छोआ आधारित आसवन इकाइयाँ स्थापित है। राज्य में गन्ना जूस, मकई तथा टूटे चावल का फीड—स्टॉक के रूप में उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। राष्ट्रीय बायो—पयूल नीति, 2018 एवं बाद की भारत सरकार की उद्घोषणाएँ बिहार जैसे राज्यों जहाँ गन्ना, मक्का तथा चावल जैसे बहुत सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं, में इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकुल नियामक एवं संस्थागत पर्यावरणीय प्रणाली प्रदान करते हैं।

यह नीति इथेनॉल उत्पादन में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पेश की गई है, जो किसानों, उद्यमियों एवं इथेनॉल इकाइयों में नियोजित होने वाले कामगारों के लिए स्थायी आमदनी का श्रोत प्रदान करती है।

3. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य राज्य में शत् प्रतिशत इथेनॉल का उत्पादन करने वाली नई (Green Field) स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इकाइयों एवं अन्य सभी हितधारकों यथा—निवेशक, किसान एवं अन्य को उनके पारिश्रमिक का लाभ एवं निम्नांकित उद्देश्यों को प्राप्त करना है :—

- राष्ट्रीय बायो—प्रयूल नीति, 2018 एवं राष्ट्रीय बायो—प्रयूल समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सभी कच्चे माल से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमित देना।
- नई (Green Field) स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इथेनॉल उत्पादन करने वाले निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए अनुकुल वातावरण तैयार करना।
- इथेनॉल उत्पादन के लिए फीड-स्टॉक / कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाना।
- इथेनॉल उद्योग को प्रोत्साहित कर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना।

विषय वृत्तांत एवं व्याप्ति

- 4.1 इकाइयों के प्रकार के लिए पात्रताः इस नीति अन्तर्गत केवल वैसी स्टैन्डअलोन (Stand-alone) आसवनगृहों (सिंगल फीड अथवा ड्यूल फीड) जो 100 प्रतिशत ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करती हैं एवं ग्रीनिफल्ड परियोजना के रूप में विकसित होंगी, वित्तीय प्रोत्साहन की पात्र होंगी।
- 4.2 फीडस्टॉक्स के प्रकार के लिए पात्रता: बिहार राज्य में राष्ट्रीय बायो—पयूल नीति, 2018 के तहत एवं राष्ट्रीय बायो—पयूल समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सभी फीडस्टॉक्स से इथेनॉल उत्पादन की अनुमित होगी। भविष्य में राष्ट्रीय बायो—पयूल समन्वय समिति द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए कोई अतिरिक्त फीडस्टॉक की अनुमित दिए जाने पर उक्त फीडस्टॉक में बिहार में स्वतः इथेनॉल उत्पादन हेतु अनुमित होगी।

टिप्पणी:

- (क) इस नीति अन्तर्गत पात्रता हेतु बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत वर्णित अन्य पात्रता शर्तों एवं प्रोत्साहनों पर विचार किया जाएगा।
- (ख) इस नीति अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु केवल वहीं इथेनॉल उत्पादन की इकाइयाँ पात्र होंगी जो ईंधन श्रेणी के इथेनॉल का उत्पादन करती हैं एवं अपना 100 प्रतिशत इथेनॉल भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (इ.बी.पी.) अन्तर्गत तेल उत्पादक कंपनियों (OMCs) को आपूर्ति करती हैं। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के समय इकाइयाँ या तो (i) इकाई, उनके बैंक एवं तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के बीच संपन्न त्रिपक्षीय एकरारनामे की एक प्रति, अथवा (ii) इकाई द्वारा उत्पादित इथेनॉल के क्रय हेतु तेल विपणन कंपनियों (OMCs) का क्रयादेश जमा करेगी।

5. इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन

यह नीति इथेनॉल उत्पादन प्रक्षेत्र में आगे निवेश के अवसर में सुधार हेतु अर्हता प्राप्त इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता का महत्व समझती है।

5.1 मार्गदर्शक सिद्धांत

- 5.1.1 ये प्रावधान / सिद्धांत इस नीति अन्तर्गत सभी पात्र परियोजनाओं / इकाइयों के लिए लागू होंगे।
- 5.1.2 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। उक्त तिथि को इस नीति की प्रभावी तिथि माना जायेगा जिससे इनके प्रावधान लागू होंगे तथा 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेंगे।
- 5.1.3 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त दिए जायेंगे।
- 5.1.4 इस नीति की कंडिका—4 अन्तर्गत आच्छादित योग्य इकाइयों को प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 द्वारा देय अनुदानों के अतिरिक्त होगा। यथापि इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा इस नीति की कंडिका—5.2 में निर्धारित अधिसीमा के अधीन होगी।
- 5.1.5 इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की गणना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की लागत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल संयंत्र एवं मशीनरी की लागत होगी।
- 5.1.6 इस नीति अन्तर्गत केवल वैसी ग्रीन—फिल्ड स्टैन्डअलोन इथेनॉल इकाइयाँ जो जेड.एल.डी. (Zero Liquid Discharge) के आधार पर स्थापित की गई है, पर विचार किया जाएगा। इन्फ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (इ.टी.पी.) की स्थापना लागत को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका—6.1(xxii) में यथावर्णित अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।
- 5.1.7 पात्र इथेनॉल इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर प्लान्ट की स्थापना में किए गए व्यय को अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।

5.1.8 विशेष वर्ग के निवेशको को दिये जाने वाले लाभ : अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.), अति पिछड़ा वर्ग (इ.बी.सी.), महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों के मामले में इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5 प्रतिशत बढाया जाएगा।

5.2 प्रोत्साहन की अधिसीमा

- 5.2.1 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत ब्याज अनुदान प्रोत्साहन एवं इस नीति अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान की कुल अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगी।
- 5.2.2 इस नीति की कंडिका—5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए यह अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत का 52.5 प्रतिशत होगी।

5.3 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन

इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अथवा रु. 5.00 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

कंडिका—5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत अथवा रु. 5.25 करोड, जो भी कम हो, होगी।

5.4 केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय (Dovetailing)

- (क) इस नीति अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं से समन्वय (Dovetailing) की अनुमित होगी। निवेशकों को उनके द्वारा केन्द्र सरकार की नीतियों अन्तर्गत प्राप्त किये गये/प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रकार एवं राशि की घोषणा करनी होगी।
- (ख) इस नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से भी समन्वय (Dovetailing) की अनुमित होगी। नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से इतर राज्य सरकार की अन्य नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय (Dovetailing) की अनुमित इस शर्त के साथ होगी कि इकाई द्वारा एक ही परिसम्पत्ति पर इस नीति एवं वैसी अन्य नीति के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा।
- (ग) यदि निवेशक केन्द्र सरकार की योजना अन्तर्गत कोई अनुदान प्राप्त करता है तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले अनुदान की राशि को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा इस नीति अन्तर्गत अनुमान्य तत्स्थानी अनुदान (Corresponding Subsidy) से घटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक निवेशक केन्द्र सरकार की एक योजना अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त करता है तथा उसके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर लागू ब्याज का दर 10 प्रतिशत है तो नीति में उल्लिखित अधिसीमा के अधीन शेष 4 प्रतिशत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमान्य होगा।

5.5 विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

राज्य में अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.), अति पिछड़ा वर्ग (इ.बी.सी.), मिहलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें इस नीति अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान इस शर्त के साथ अनुमान्य होगा कि इकाई को प्रवर्तित करने वाली कंपनी / फर्म में इन वर्गों के उद्यमियों का 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

5.6 इस नीति अन्तर्गत आवेदन की समयाविध

इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र इकाइयों को दिनांक 30.06.2021 तक स्टेज—1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा। इथेनॉल इकाई की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा जमा किए गए स्टेज—1 के सभी आवेदनों की आगामी 07 कार्य दिवसों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर तरह से पूर्ण आवेदन को स्टेज—1 की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा इसकी सूचना संबंधित उद्यमी को दी जाएगी।

वैसी पात्र इकाइयाँ जो इस नीति की अधिसूचना के पूर्व स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं उन्हें भी इस नीति से आच्छादित किया जाएगा, अगर उनके द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी प्राप्त नहीं की गई हो।

5.7 पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन

इस योजनान्तर्गत पहले आओ—पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति अन्तर्गत दिनांक 30.06.2021 तक स्टेज—1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी इकाइयाँ प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी, अगर वे 30.06.2022 तक अथवा इसके पूर्व वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती है।

5.8 100 प्रतिशत नई स्टैंडअलोन इथेनॉल इकाइयों को कुल वित्तीय सहायता

इस नीति की अधिसूचना के उपरान्त बिहार की पात्र ग्रीन फिल्ड स्टैन्डअलोन इथेनॉल की इकाइयाँ बिहार सरकार की निम्नांकित नीतियों के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी:

- 1. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016
- 2. यह नीति

इस प्रकार पात्र इथेनॉल इकाइयाँ निम्नांकित वित्तीय सहायता की पात्र होंगी:

क्र.	प्रोत्साहन का प्रकार	प्रोत्साहन की राशि	नीति
1	स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क	स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति)	
2	भूमि सम्परिवर्तन शुल्क	भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति)	बिहार औद्योगिक
3	ब्याज अनुदान प्रोत्साहन	पाँच वर्षों के लिए टर्म लोन पर 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान, प्रोत्साहन की अधिसीमा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु० 20.00 करोड़ (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में अधिसीमा परियोजना लगत का 30 प्रतिशत, अधिकतम रु० 10.00 करोड़)	निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

क्र.	प्रोत्साहन का प्रकार	प्रोत्साहन की राशि	नीति
4	कर संबंधी प्रोत्साहन	पाँच वर्षों तक कर संबंधी प्रोत्साहन (100 प्रतिशत एस.जी एस.टी. प्रतिपूर्ति एवं 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति), अधिसीमा परियोजना लागत का 100 प्रतिशत, (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 80 प्रतिशत एस.जी.एस. टी. की प्रतिपूर्ति एवं 100 प्रतिशत विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति, अधिकतम परियोजना लागत का 100 प्रतिशत)	
5	नियोजन लागत अनुदान	नई इकाइयों को बिहार के निवासी कर्मियों के लिए ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. योजना में अंशदान पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (पुरूष कामगारों के मामले में) तथा 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (महिला कामगारों के मामले में) प्रतिपूर्ति की अधिसीमा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्मियों के लिए रु.1000.00 प्रतिमाह तथा सामान्य कर्मियों के लिए रु.500.00 प्रतिमाह होगी।	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016
6	कौशल विकास अनुदान	कौशल विकास अनुदान रु.20,000.00 प्रति कर्मी / बिहार कौशल विकास मिशन (बी.एस.डी.एम.) का दर, जो भी कम हो। यह अनुदान बिहार के निवासी कर्मियों / स्टॉफ के प्रशिक्षण के लिए अनुमान्य होगा।	
7	पूँजीगत अनुदान	संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम रु.5.00 करोड़	यह नीति

टिप्पणी:

- 1. सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में निम्नांकित अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाते है :— (i) ब्याज अनुदान की दर 10 प्रतिशत के बदले 12 प्रतिशत है तथा (ii) कर संबंधी अनुदान की अधिसीमा अनुमोदित परियोजना लागत की 30 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाई जाती है।
- 2. इस नीति की कंडिका—5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए निम्नांकित अतिरिक्त अनुदान दिए जाते हैं: (i) ब्याज अनुदान की दर तथा ब्याज अनुदान की अधिसीमा दोनों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है, (ii) कर संबंधी अनुदान की अधिसीमा को 15 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है तथा (iii) पूँजीगत अनुदान की अधिसीमा को 5 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है।
- 3. यह कंडिका 5.8 मात्र प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत प्रोत्साहनों में संबंधित पदबंधों एवं शर्तों के लिए नीति दस्तावेज को संदर्भित किया जाना चाहिए। इस कंडिका में प्रस्तुत सूचनाओं एवं उक्त नीति के प्रावधानों में कोई विरोधाभाष होने पर, नीति के प्रावधान लागू एवं प्रभावी होंगे।



5.9 उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय सीमा का अनुपालन

- स्टेज-1 क्लीयरेंस: उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) पर
 30 जून, 2021 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा। उद्योग विभाग द्वारा सभी तरह से पूर्ण आवेदनों को आगामी 07 कार्य दिवसों के अंदर स्टेज-1 क्लीयरेंस निर्गत किया जायेगा।
- बियाडा द्वारा भूमि का आवंटन: भूमि आवंटन के लिए उद्यमियों द्वारा बियाडा के पोर्टल पर आवंदन करना होगा जिसे बियाडा द्वारा आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा।
- वित्तीय स्वीकृतिः वित्तीय स्वीकृति के लिए उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) पर अधिकतम 30 जून, 2022 तक आवेदन करना होगा।

6. नीति कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण

6.1 नीति कार्यान्वयन :

- i. उद्योग विभाग, बिहार सरकार राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगा। उद्योग निदेशक इस नीति के नोडल अधिकारी होंगे।
- ii. इस नीति अन्तर्गत अनुदान की प्रक्रिया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- iii. इकाइयों द्वारा इस नीति अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) पर किया जायेगा।
- iv. बिहार सरकार राज्य में ईंधन श्रेणी इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। इस उद्देश्य हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा—4 के अनुरूप गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को राज्य सरकार के संबंधित विभागों / अभिकरणों को निदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करेगी। इथेनॉल इकाइयों को बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा अन्य विभागों / अभिकरणों से वांछित अनापत्ति प्रमाण—पत्र, स्वीकृति एवं अनुमति उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) द्वारा दिया जायेगा।
- v. उद्योग विभाग द्वारा इथेनॉल इकाइयों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) से भूमि आवंटन, निजी भूमि के भूमि निबंधन तथा भूमि उपयोग सम्परिवर्तन एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियों / अनुज्ञिप्तयों / अनापित्तयों के लिए हैण्ड—होल्डिंग सहायता दी जायेगी।
- vi. इथेनॉल इकाइयों को बियाडा की भूमि प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जायेगी। उद्यमी द्वारा इथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रत्येक आवेदन को आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए एक सप्ताह के अंदर प्राप्त सभी आवेदनों की स्वीकृति के लिए बियाडा के प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमिटि (पी.सी.सी.) की साप्ताहिक बैठक होगी। इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को भूमि आवंटन में अन्य उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के प्रस्तावों पर अधिमानता दी जायेगी।



6.2 नीति अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण

- इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा समय—समय पर की जायेगी और आवश्यक दिशा—निर्देशों के साथ त्रुटियों का निराकरण किया जायेगा।
- ii. उद्योग विभाग इस उद्देश्य के लिए वेब आधारित सूचना तंत्र विकसित करेगा जिससे सलाह एवं शिकायत सीधा विभाग को प्रेषित किया जा सके।

6.3 कार्यक्रम जागरूकता एवं क्षमतावर्द्धन

- i. घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न स्तरों पर जागरूकता / क्षमतावर्द्धन के लिए कार्यक्रम चलाया जायेगा। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी, साथ ही स्व—रोजगार के अवसरों के लिए जैव ईंधन प्रक्षेत्र की भूमिका एवं महत्व स्थापित की जायेगी।
- ii. मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन पर जोर दिया जायेगा। इसके लिए सरकारी एवं अन्य संस्थानों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि जैव ऊर्जा प्रक्षेत्र में प्रचूर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

7. सामान्य शर्ते :

- i. राष्ट्रीय बायो—पयूल नीति, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा पहले से ही बायो इथेनॉल स्टैण्डअलोन एवं मिश्रित रूप में उपयोग के लिए बायो डिजल के मानकों को विकसित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बायो डिजल के लिए (15607), जो अमेरिकन मानक ए.एस.टी.एम. —डी—6751 एवं यूरेपियन मानक ई.एन.—14—14214 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत बायो इथेनॉल मिश्रण सिहत मानक आई.एस.—2796:2001 विकसित किया गया है। बायो इथेनॉल, बायो डिजल, ड्रॉप—इन—पयूल, मिथेनॉल एवं अन्य जैव ईंधनों के उत्पादन में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किये गये मानकों की हर शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ii. अनुदान प्राप्ति के लिए यदि कोई गलत घोषणा दी जाती है या अनुदान एक ऐसी इकाई द्वारा प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं है या अन्य किसी तरीके से इस नीति का उल्लंघन किया जाता है, वैसी स्थिति में अनुदान के रूप में दी गई राशि, अनुदान विमुक्ति की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृधि ब्याज की दर से वसूल की जायेगी। निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार सूद सहित राशि भूमि लगान की तरह वसूल करेगी।
- 8. इस नीति में प्रयुक्त शब्दों के वहीं अर्थ होंगे जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा राष्ट्रीय बायो—पयूल नीति, 2018 में हैं, जैसा संदर्भ हो। व्याख्या / विवाद के सभी मामले औद्योगिक विकास आयुक्त या अपर मुख्य सिचव / प्रधान सिचव / सिचव , उद्योग विभाग द्वारा निर्णीत होंगे। ऐसी व्याख्या / निर्णय अंतिम होगा।
- 9. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के वंचित उद्योगों की सूची में अंकित उद्योग इस नीति अन्तर्गत किसी प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।





- 10. अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा संस्करण हर तरह से बाध्यकारी होगा और लागू होगा।
- 11. यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

् अपर मुख्य सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—757

/ पटना,

दिनांक-17/03/2021

सं0सं0— 4तक0 / Ethanol Policy / 09 / 2021







Ethanol Production Promotion Policy, 2021



Government of Bihar, Department of Industries <u>Resolution</u>

Ethanol Production Promotion Policy, 2021

1. Preamble

Bihar is progressively adopting practices to create an investor-friendly environment in the state, so as to facilitate investments. The state has adopted best practices for making a conducive environment in the state to facilitate investments, employment generation and welfare of the people. Measures like State Investment Promotion Board, Single Window Clearance, online payments, online verification, self- certification, time-bound approval of licences/clearances, availability of information online, standard operating procedures for approvals, deemed approvals, etc. are being adopted by various departments and government agencies.

The overall objective is to maximize the value addition to state's natural resources by setting up industries across the state, generating revenue and creating employment. Bihar Government is also keenly working towards skill development, improving exports, Agriculture and Processed Food products, Tourism, Renewable Energy to ensure increased industrial development across the State.

In view of the above, this policy has been introduced after extensive deliberation with industries experts, industry associations, investors, subject experts etc. This policy is proposed to make Ethanol manufacturing in the State more attractive for potential investors. This Policy is aimed at defining the broad contours of the government's mission towards augmenting the development of Ethanol manufacturing Industries.

2. Background

In order to encourage sustainable and alternate fuels and also to cut India's dependence on imports of fossil fuel oils, Government of India has taken multiple interventions including administered price mechanism, opening alternate route for Ethanol production, amendment to Industries (Development & Regulation) Act, 1951 which legislates exclusive control of denatured Ethanol by the Government of India, reduction in applicable Goods & Service Tax (GST) from 18% to 5%, notification of National Policy on Biofuels – 2018, increasing scope of raw material for Ethanol procurement, extension of Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme to whole of India except islands of Andaman Nicobar & Lakshadweep w.e.f. 01st of April, 2019, et al.

The National Policy on Biofuels, 2018 approved in May, 2018 is aimed at achieving multiple outcomes such as; addressing environmental concerns, reducing import dependency and providing boost to agriculture sector.

The National Policy on Biofuels, 2018 allowed production of Ethanol from B-heavy



Molasses, Sugarcane Juice, and Damaged food grains like wheat, broken rice etc which are unfit for human consumption. Regarding food-grains, the National Biofuel Coordination Committee (NBCC) was empowered to allow specific raw materials based on the projected supply for the forthcoming year. The NBCC has subsequently allowed production of Ethanol from Surplus Rice with Food Corporation of India (FCI) and Maize.

Traditionally, Bihar has been leader in the Sugarcane production in India and is also home to large number of Molasses based Distillery units. Ethanol manufacturing in the State using Sugarcane Juice, Maize and Broken Rice as feed-stock has significant potential for growth. The National Policy on Biofuels, 2018 and subsequent pronouncements by the Government of India offer a very conducive regulatory and institutional eco-system for sustainable growth of Ethanol manufacturing in States such as Bihar which is endowed with large number of feed-stocks such as Sugarcane, Maize, Rice, etc.

This policy has been introduced with an aim to leverage the opportunities in Ethanol manufacturing which offers a sustainable source of income for farmers, entrepreneurs and workers who will be employed in the Ethanol units.

3. Objective

This policy aims to achieve the following objectives for the overall growth and development of green-field new 100% Ethanol manufacturing industries in the State with a goal of providing remunerative returns to investors, farmers and all other stakeholders:

- To allow production of Ethanol from all feedstocks permitted under National Policy on Biofuels, 2018 and by the National Biofuel Coordination Committee
- To promote, facilitate and financially incentivize investment in fuel-grade standalone new/green-field Ethanol manufacturing units in Bihar through instituting an enabling environment and offering fiscal incentive
- To increase incomes of farmers producing feed-stock/ raw material which may be used for Ethanol manufacturing
- To create local employment opportunities through promotion of new Ethanol industries

4. Coverage and Scope

4.1. Eligibility for type of Units

Only standalone distilleries (single feed or dual feed) producing 100% fuel-grade Ethanol which will be developed as Greenfield project shall be eligible for incentive under this Policy.

4.2. Eligibility for type of feedstocks

Ethanol production from all feedstocks permitted under National Policy on Biofuels, 2018 and by the National Biofuel Coordination Committee shall be allowed in the State of Bihar. Subsequent permission of any additional feedstock for Ethanol production by National Biofuel Coordination Committee will be automatically allowed for Ethanol production in the State of Bihar.

Notes:

- a) Other eligibility conditions and incentives mentioned under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 shall also be considered for eligibility under this policy.
- b) Only those Green-field standalone Ethanol manufacturing units shall be eligible for financial assistance under this Policy which are producing fuel-grade Ethanol and are supplying 100% of their Ethanol to Oil Manufacturing Companies (OMCs) under Ethanol Blending Programme (EBP) of Government of India. For this purpose, at the time of Financial Clearance, the Units will submit either (i) a copy of Tripartite agreement entered into among the Unit, their Bankers and Oil Marketing Companies (OMCs), or (ii) purchase order from Oil Marketing Companies (OMCs) for sourcing of Ethanol manufactured by the Unit.

5. Incentives to Ethanol Manufacturing Units

The Policy recognizes the need of additional incentive to eligible Units to further improve the investment prospects in the Ethanol manufacturing sector in the state.

5.1 Guiding Principles

- 5.1.1 These provisions / principles shall be applicable to all eligible projects / units under this policy.
- 5.1.2 This policy shall come into force from the date of its notification. The said date shall be considered as effective date of this policy from which its provisions shall come into force and will be applicable till 31st March 2025.
- 5.1.3 Incentive under this Policy shall be offered after commencement of commercial production by the Unit.
- 5.1.4 Incentive under this Policy to the eligible Units covered under the clause 4 will be in addition to the wide range of benefits eligible under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016. However, the maximum limit of incentive under this Policy shall be subject to capping as per Clause 5.2 of this Policy.
- 5.1.5 For the purpose of calculation of capital subsidy under this policy, the value of Plant and Machinery shall be that considered as part of Approved project cost under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.
- 5.1.6 Only those green-field standalone Ethanol Units which are set-up on ZLD (Zero Liquid Discharge) basis shall be considered under this Policy. The cost of setting-up Effluent Treatment Plant (ETP) shall be included within the Approved project Cost as mentioned in Clause 6.1.(xxii) of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.
- 5.1.7 Cost incurred in setting-up Captive power plant by eligible green-field standalone Ethanol units shall be included within the Approved project cost.
- 5.1.8 Special Class Investors: In case of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Extremely Backward Castes (EBC), Women, Differently-abled, War-widows, Acid attack victims and Third gender entrepreneurs, the maximum limit of incentive under this Policy shall be increased by additional 5%.

5.2 Capping of incentives

- 5.2.1 The incentive under this Policy is in addition to the incentives under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016. However, the capping of sum total of Interest Subvention Incentive under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 and Capital subsidy under this Policy shall be at 50% of the Approved project cost under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.
- 5.2.2 For Special Class Investors as referred to in Clause 5.1.8 of this Policy, the capping will be 52.5% of the Approved project cost under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016

5.3 Incentives under this policy

The quantum of capital subsidy under this Policy shall be 15% of the Cost of Plant and Machinery or Rs. 5.00 crs, whichever is lower.

In case of Special class investors referred to under Clause 5.1.8, the quantum of capital subsidy under this Policy shall be 15.75% of the Cost of Plant and Machinery or Rs. 5.25 crs, whichever is lower.

5.4 Dovetailing with Central and State Government policies and schemes

- (a) Dovetailing with Central Government policies and schemes would be allowed under the Policy. Investors shall have to submit declaration of types and quantum of incentives availed/to be availed by them under Central Government policies.
- (b) Dovetailing with Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 would be allowed under the policy. Dovetailing with State Government policies and schemes other than Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 would be allowed under the policy subject to the condition that the unit shall not avail subsidy against the same asset under this policy and such other policy.
- (c) In case Investors avail any subsidy under Central Government schemes, the amount of subsidy so availed/ to be availed by them will be deducted from the corresponding subsidy admissible under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 or this Policy. For example If an Investor avails 6% interest subvention subsidy under a Central Government Scheme and the applicable interest rate on term loan availed by them is 10%, then balance 4% would be admissible under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 subject to the upper limit specified in the Policy.

5.5 Special incentive package for Special class entrepreneurs

In order to promote Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Extremely Backward Castes (EBC), Women, Differently-abled, War-widows, Acid attack victims and Third gender entrepreneurs in the State, they shall be entitled for additional subsidy under the policy subject to the condition that entrepreneurs under these categories shall hold 100% stake in the Company/Firm promoting the Unit.

5.6 Submission of application under this Policy

For availing incentive under this Policy, the eligible units would be required to submit Stage-

1 application latest by 30.06.2021. Every application for Stage-1 clearance submitted by an Entrepreneur for setting up Ethanol manufacturing unit will be processed in next seven (07) working days. Applications which are complete in all respects will be accorded Stage-1 clearance and the same will be communicated to the concerned Entrepreneur.

Eligible units which have availed Stage-1 clearance prior to the date of notification of this Policy will also be covered under this Policy provided they have not availed Financial Clearance.

5.7 Incentives on first-come-first-serve basis

Incentive under this scheme shall be offered on first-come-first-serve basis. All units having applied for Stage-1 clearance latest by 30.06.2021 shall be eligible to avail incentive under this Policy provided they also submit application for Financial Clearance on or before 30.06.2022.

5.8 Total financial assistance to 100% green-field standalone Ethanol units

After the notification of this Policy, the eligible green-field standalone Ethanol Manufacturing Units in Bihar will be entitled to avail Incentives under the following policies of the Bihar Government-

- 1. Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016
- 2. This Policy

Thus, eligible Ethanol units would be entitled to the following financial assistance:-

Sl.	Type of incentive	Quantum of incentive	Policy
1.	Stamp duty and registration fees	100% Exemption of Stamp duty and registration fees (100% Reimbursement in case of Priority Sectors)	
2.	Land conversion fees	100% Exemption of Land conversion fees (100% Reimbursement in case of Priority Sectors)	
3.	Interest subvention incentive	Interest Subvention Incentive at 10% of Term loan for a period of five years, upper limit being 50% of Project Cost, maximum Rs. 20 crs (In case of Priority Sectors, upper limit being 30% of Project Cost, maximum Rs. 10 crs)	Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016
4.	Tax related incentives	Tax related incentives (100% SGST reimbursement and 100% Electricity Duty reimbursement) for a period of five years, upper limit being 100% of Project Cost {In case of Priority Sectors, 80% SGST reimbursement and 100% Electricity Duty Reimbursement, upper limit being 100% of Project Cost}	
1 48	1		

Sl.	Type of incentive	Quantum of incentive	Policy
5.	Employment cost subsidy	50% reimbursement (in case of male workers) and 100% reimbursement (in case of female workers) of expenditure on account of contribution toward ESI and EPF scheme for a period of 5 years for new units for those employees who are domicile of Bihar. Maximum limit for reimbursement will be Rs.1000/-per month for SC/ST and women employee and Rs. 500/- per month for general employee.	Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016
6.	Skill development subsidy	Skill development subsidy of Rs 20,000 per employee/Bihar Skill Development Mission (BSDM) rates whichever is lower. This incentive will be applicable for training of employees/ staffs who are domicile of Bihar	
7.	Capital subsidy	Capital subsidy at 15% of the cost of Plant and Machinery, maximum Rs. 5 crs	This Policy

Note:

- 1. In case of Micro and Small units, following additional incentives are given- (i) Rate of interest subvention is 12% instead of 10%; and (ii) The upper limit of Tax related incentives is increased by additional 30% of the Approved project cost.
- 2. In case of Special Class Entrepreneurs referred to in Clause 5.1.8 of this Policy, following additional incentives are given- (i) Rate of interest subvention and upper limit of interest subvention incentive both is raised by additional 15% of the limit; (ii) The upper limit of Tax related incentives is raised by additional 15% of the limit. (iii) The upper limit of capital subsidy is raised by additional 5% of the limit.
- 3. This Clause 5.8. is merely for presentation purposes. For terms and conditions related to incentives under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, the policy document should be referred to. In case of any inconsistency between the information presented in this Clause and provisions of the said policy, the latter will apply and prevail.

5.9 Timeline to be followed by Entrepreneurs and Department of Industries

• Stage-1 Clearance: Entrepreneurs should submit application for Stage-1 clearance latest by 30th June, 2021 on Single Window Clearance portal (swc.bihar.gov.in) of Department of Industries. Department of Industries will issue Stage-1 clearance within next seven (07) working days to applications which are complete in all respects.

- Land allotment by BIADA: Entrepreneurs should submit application for land allotment on BIADA portal which will be disposed by BIADA within next seven (07) working days.
- **Financial Clearance:** Entrepreneurs should submit application for Financial Clearance latest by 30th June, 2022 on Single Window Clearance portal (swc.bihar.gov.in) of Department of Industries.

6. Policy implementation, monitoring and grievance redressal

6.1. Policy Implementation

- (i). Department of Industries, Government of Bihar shall be the nodal agency responsible for implementation of this policy in the State. Director of Industries shall be the nodal officer for this policy.
- (ii). Incentives under this policy shall be processed as per the provisions of Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 and Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016.
- (iii). Units applying for incentive under this policy shall apply on the Single Window Clearance (SWC) portal (https://swc.bihar.gov.in) of the Department of Industries, Government of Bihar.
- (iv). Government of Bihar will promote fuel-grade Ethanol manufacturing in the State. For this purpose, the State Investment Promotion Board (SIPB) constituted as per Section 4 of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 shall be empowered to issue directions to concerned Departments/ Agencies of the State Government. All NOCs, permissions and clearances required by Ethanol Manufacturing units from Prohibition Excise & Registration Department and other Departments/ Agencies of Bihar Government will be provided through Single Window Clearance (SWC) portal (https://swc.bihar.gov.in) of the Department of Industries, Government of Bihar.
- (v). Department of Industries shall extend hand-holding support to the Investors setting up Ethanol manufacturing units in land allotment from Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA), land registration for private land and land use conversion and other applicable clearances/licences/ NOCs.
- (vi). BIADA land shall be allotted to standalone Ethanol manufacturing units on priority. Every application for land allotment submitted by an Entrepreneur for setting up Ethanol manufacturing unit will be processed in next seven (07) working days. For this purpose, a weekly meeting of the Project Clearance Committee (PCC) of BIADA will be held to clear all applications for High-priority sector units received within a week. Units proposing to set-up standalone Ethanol manufacturing plant shall be given preference in land allotment over other high-priority sector proposals.



6.2. Policy monitoring and grievance redressal

- (i). The implementation of the policy will be reviewed from time to time and necessary facilitation and course correction shall be undertaken as found necessary to achieve the objectives of this policy.
- (ii). Department of Industries will develop web-based interaction mechanism where suggestions and complaints can be directly addressed to the Department of Industries.

6.3 Program awareness and Capacity Building

- (i). Programs for creation of various levels of awareness /capacity building for self-reliance in the field of domestic energy will be run. With this, the rural economy will be strengthened as well as the role and importance of the bio-fuels sector will be established for self employment opportunities.
- (ii). Emphasis will be given on human resource development, training and capacity building. For this, government and other institutions will be encouraged for various level training, to ensure the availability of trained manpower at all levels in the bioenergy sector.

7. General conditions

- (i). As per the National Policy on Biofuels, 2018, the Bureau of Indian Standards (BIS) has already evolved standards for bio-ethanol, biodiesel for standalone and blended form applications. The Bureau of Indian Standards (BIS) has developed a standard (E.S. 15607) for Bio-diesel, which has been taken from the American standard ASTM-D-6751 and the European standard E.N. 14-14214. Apart from this, the Bureau of Indian Standards has developed standard I.S. -2796: 2001, including 5% and 10% Bio-ethanol Blend. Compliance will be ensured in each condition of standards set by the Bureau of Indian Standards in the production of bio-ethanol, biodiesel, drop-in-fuel, methanol and other bio-fuels.
- (ii). If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of the condition of this policy, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such benefit along with the interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.
- (iii). If a Unit after availing incentive under this Policy diverts the production facility to produce any product other than fuel-grade Ethanol to be supplied to Oil Marketing Companies under Ethanol Blending Programme of Government of India, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such benefit along with the interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.

- 8. Words used in this Policy shall have the same meaning as assigned to them under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 or National Policy on Biofuels, 2018, as the context may require. All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Industrial Development Commissioner/ Principal Secretary, Department of Industries. Such interpretation/decision shall be final.
- 9. Industries mentioned in the negative list of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 would not be eligible for any incentive under this policy.
- 10. In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be binding in all respect and shall prevail.
- 11. This policy will come into effect from the date of issue of this notification and will remain in operation till 31st March 2025.

By the order of the Governor of Bihar

B. Mehrotra)
(Brijesh Mehrotra)

Additional Chief Secretary, Department of Industries, Bihar, Patna.

Dated-17/03/2021

Memo No- 757 /Patna, File No- 4/Tech./Ethanol Policy/09/2021







उद्योग विभाग बिहार सरकार